

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 96/11

संस्थापन दिनांक:-19/04/11

फाईलिंग नं. 233504000062011

मध्यप्रदेश राज्य  
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रु द्ध**

अंगद पिता जीवतु यादव,  
उम्र 38 वर्ष, निवासी बोरी,  
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

**:- (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 24.11.2016 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 304-ए भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 07.02.2011 से 08.02.2011 के सुबह 8 बजे दरम्यान आमला रतेड़ा रोड तोरणवाड़ा के पास गोलाई में 5 किमी. उत्तर थाना आमला जिला बैतूल रोड पर वाहन मोटर सायकिल सी.बी.जेड. क्र. एमपी-48-एमई-1423 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित कर उक्त मोटर सायकिल की दुर्घटना कारित कर उसमें बैठे अनिल की ऐसी मृत्यु कारित की जो मानव वध की कोटि में नहीं आती।

2 अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 07.02.2011 को रात में करीब 10:30 बजे फरियादी देवीराम का भतीजा अनिल घर से मोटर सायकिल लेकर निकला था तथा दूसरे दिन जब सुहब अनिल घर वापस नहीं आया तब यह पता चला कि उसकी मोटर सायकिल का एक्सीडेंट हो गया है। जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। फरियादी देवीराम की उक्त सूचना पर थाना आमला में 10/11 धारा 174 जा.फौ. दर्ज कर जांच में लिया गया। जांच के दौरान देवीराम, अनिता, शिवरती, धन्नू, जगन, अंगद, विशाल, रामप्यारी के कथन लिये गये एवं पंचनामा कार्यवाही की गयी। मृतक की लाश का पोस्ट मार्टम कराया गया। संपूर्ण जांच उपरांत पाया गया कि अभियुक्त अंगद ने अपनी मोटर सायकिल सीबीजेड को तेज व लापरवाही से चलाते हुए घटना कारित किया। जिसके पश्चात थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 82/11 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया। घटना स्थल से बिना नंबर की सीबीजेड मोटर सायकिल एवं एक गमछा तथा अभियुक्त से ड्रायविंग लायसेंस, वाहन क्र. एमपी-48-एमई-1423 का रजिस्ट्रेशन, बीमा पॉलिसी जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया

गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 07.02.2011 से 08.02.2011 के सुबह 8 बजे दरम्यान आमला रतेड़ा रोड तोरणवाड़ा के पास गोलाई में 5 किमी. उत्तर थाना आमला जिला बैतूल रोड पर वाहन मोटर सायकिल सी.बी.जेड. क्र. एमपी-48-एमई-1423 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित कर उक्त मोटर सायकिल की दुर्घटना कारित कर उसमें बैठे अनिल की ऐसी मृत्यु कारित की जो मानव वध की कोटि में नहीं आती ?

2. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

**।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।**

**विचारणीय प्रश्न क. 01 का निराकरण**

5 अनिता (अ.सा.-1), कमलेश (अ.सा.-2), शिव (अ.सा.-3), देवीराम (अ.सा.-4), राजेश (अ.सा.-5), जमनयादव (अ.सा.-6), गणेश (अ.सा.-8) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्त अंगद को जानना व्यक्त करते हुए मृतक अनिल का एकसीडेंट हो जाने से उसकी मृत्यु हो जाना प्रकट किया है।

6 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-7) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि उसने दिनांक 08.02.2011 को सीएचसी आमला में पदस्थ रहते हुए मृतक अनिल का शव परीक्षण किये जाने पर मृतक के सिर के बांये तरफ माथे पर 4 गुणा 3 सेमी. आकार की सूजन, बांये कुल्ले का जोड़ फेक्चर एवं डिसलोकेडेट, एवं बांये कंधे की क्लेविकल तथा हाथ की हड्डी टूटी पायी थी एवं मृतक के दांये कंधे की कलर हड्डी टूटी थी एवं 5 वीं, 6 वीं सरवाईकल वर्टीका डिसलोकेडेट एवं बांये कंधे का जोड़ भी डिसलोकेडेट पाया था। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि मृतक के आंतरिक परीक्षण के दौरान मृतक के माथे के बांये तरफ की हड्डी टूटी एवं सिल्ली मस्तिष्क कंजेस्टेड पाया था एवं मृतक के वक्ष में पर्दा, पसली एवं फुफुस स्वस्थ तथा कंठ एवं श्वासनली फेफड़े कंजेस्टेड पाये थे एवं मृतक के हृदय में बांया भाग खाली एवं दाहिने भाग में थोड़ा खून पाया था। साक्षी ने मृतक अनिल की मृत्यु शरीर में पाये गये कई फेक्चर से सिकोफा के कारण होना बताते हुए शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-8) को प्रमाणित किया है। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षी तथा साक्षी अनिता (अ.

सा.-1), कमलेश (अ.सा.-2), शिव (अ.सा.-3), देवीराम (अ.सा.-4), राजेश (अ.सा.-5), जमनयादव (अ.सा.-6), गणेश (अ.सा.-8) के कथनों से मृतक अनिल की एक्सीडेंट से मृत्यु के तथ्य की संपुष्टि होती है। अतः प्रकरण में यह देखा जाना है कि क्या मृतक अनिल की मृत्यु अभियुक्त अंगद द्वारा मोटर सायकिल को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर कारित की गयी थी ?

7 अनिता (अ.सा.-1) ने यह प्रकट किया है कि मृतक अनिल उसके पति थे। उसके पति मोटर सायकिल से आमला आ रहे थे। सुबह यह पता चला था कि उसके पति अनिल की मौत हो चुकी है। कमलेश (अ.सा.-2) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि उसे घटना के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है परंतु जांच पंचनामा (प्रदर्श प्री-2) एवं जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-3) पर उसके हस्ताक्षर हैं। शिव (अ.सा.-3) ने यह प्रकट किया है कि उसे यह पता चला था कि अनिल का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी मृत्यु हो गयी है। देवीराम (अ.सा.-4) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना के समय मृतक अनिल घर से मोटर सायकिल लेकर निकला था, दूसरे दिन सुबह यह मालूम पड़ा कि उसकी लाश मौके पर पड़ी है तब वह और गांव के बहुत सारे लोग मौके पर पहुंचे और देखे कि रोड के किनारे अनिल की लाश पड़ी है और पास में ही उसकी मोटर सायकिल भी पड़ी थी। उक्त साक्षी ने आगे यह भी प्रकट किया है कि उसने घटना की सूचना पुलिस थाना आमला में किया था तथा मर्ग रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-6), नक्शा पंचायतनामा (प्रदर्श प्री-7), जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-8) एवं (प्रदर्श प्री-3) तथा गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-9) पर उसके हस्ताक्षर हैं।

8 अनिता (अ.सा.-1), कमलेश (अ.सा.-2), शिव (अ.सा.-3) तथा देवीराम (अ.सा.-4) से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर उपर्युक्त साक्षीगण ने अभियोजन के समर्थन में कोई भी तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। शिव (अ.सा.-3) ने इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त अंगद ने मोटर सायकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर एक्सीडेंट किया जिससे अनिल की मृत्यु हो गयी थी। देवीराम (अ.सा.-4) ने भी अभियोजन के इस सुझाव से इनकार किया है कि दिनांक 07.02.2011 को अभियुक्त अंगद ने मोटर सायकिल सीबीजेड क्र. एमपी-48-एमई-1423 पीले रंग की, में पीछे अनिल को बैठाकर तेज गति व लापरवाही से चलाकर एक्सीडेंट कर दिया जिससे अनिल की मृत्यु हो गयी।

9 राजेश यादव (अ.सा.-5) तथा जमन यादव (अ.सा.-6) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि उन्हें यह सूचना मिली थी कि अभियुक्त अंगद तथा अनिल का एक्सीडेंट हो गया है तथा जब मौके पर पहुंचे तो अनिल मरा हुआ पड़ा था तथा अभियुक्त अंगद को लोग डॉक्टर के पास ले गये थे। उपर्युक्त साक्षी ने आगे यह भी प्रकट किया है कि उन्हें उपस्थित लोगों ने यह बताया था कि जीप से टक्कर हो गयी है। उपर्युक्त साक्षीगण से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षीगण ने इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त अंगद ने वाहन को तेज गति एवं लापरवाही से चलाकर एक्सीडेंट कर दिया था जिससे अनिल की मृत्यु हो गयी थी। उपर्युक्त साक्षीगण ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि घटना उनके सामने घटित नहीं हुई थी इसलिए किसकी गलती से घटना घटित हुई

थी वे नहीं बता सकते हैं।

10 गणेश (अ.सा.-8) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि अभियुक्त अंगद अनिल को मोटर सायकिल में पीछे बैठाकर आमला तरफ ले जा रहा था तथा अभियुक्त अंगद ने मोटर सायकिल को तेज गाति एवं लापरवाही से चलाकर पलटा दिया था जिससे अनिल की मृत्यु हो गयी थी। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि वह घटना के समय मौके पर नहीं था तथा उसने घटना घटित होते नहीं देखा और न ही अभियुक्त अंगद को गाड़ी चलाते हुए देखा तथा साक्षी ने यह भी बताया है कि दुर्घटना किसकी गलती से हुई थी वह नहीं बता सकता क्योंकि वह मौके पर नहीं था। इस प्रकार उक्त साक्षी ने यद्यपि अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त अंगद के द्वारा मोटर सायकिल को चलाया जाना बताया है परंतु प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने स्वयं के द्वारा घटना देखे जाने से इनकार किया है। तब ऐसी स्थिति में जबकि उक्त साक्षी अपने कथनों पर स्थिर नहीं है उस पर विश्वास किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

11 बसंत मिरासे (अ.सा.-10) ने दिनांक 08.02.2011 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए मृतक अनिल की आकस्मिक मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर मर्ग इंटीमेशन (प्रदर्श प्री-6) लेख किया जाना बताया है। अशोक घनघोरिया (अ.सा.-11) ने अपने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में दिनांक 15.04.2011 को थाना प्रभारी आमला के पद पर पदस्थ रहते हुए मर्ग क्र. 10/11 की जांच लक्खू साहू द्वारा की जाना बताते हुए जांच उपरांत उसके द्वारा थाने के अपराध क्र. 82/11 में अभियुक्त के विरुद्ध (प्रदर्श प्री-14) की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की जाना तथा अभियुक्त से ड्रायविंग लायसंस, बीमा, रजिस्ट्रेशन जप्त कर (प्रदर्श प्री-3) का जप्ती पत्रक बनाया जाना तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-9) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना बताया है। साक्षी ने उपर्युक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को भी प्रमाणित किया है।

12 संजय (अ.सा.-9) ने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 15.04.2011 को मोटर सायकिल सीबीजेड क्र. एमपी-48-एमई-1423 का मैकेनिकल परीक्षण किया जाना प्रकट करते हुए वाहन को टूटी फूटी हालत में होना बताया था तथा अपने मैकेनिकल परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-13) पर हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।

13 प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रकट हो रहा है कि घटना दिनांक को अनिल की एक्सीडेंट से मृत्यु हुई परंतु यह प्रकट नहीं हो रहा है कि घटना दिनांक को अभियुक्त अंगद मोटर सायकिल पर अनिल को पीछे बैठाकर चला रहा था तथा वाहन को उपेक्षा एवं उतावलेपन को चलाया जिससे कि अनिल की मृत्यु हो गयी। अभियोजन कथा अनुसार घटना दिनांक को सुबह 10:30 बजे अनिल घर से मोटर सायकिल लेकर निकला तथा उस दिन घर वापस नहीं आया और दूसरे दिन यह पता चला कि खाई में गिरने से उसकी मृत्यु हो गयी है। अभियोजन कथा अनुसार फरियादी देवीराम को जब घर पर यह सूचना मिली तो वह, अंगद, राजेश, कमलेश के साथ तोरणवाड़ा मोड़ पर गया। इस तरह से यह स्पष्ट हो रहा है कि

अभियुक्त अंगद घटना के समय घर पर ही था तथा अभियोजन कथा से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि अनिल के साथ अंगद भी घर से निकला था, न ही किसी साक्षी ने अभियुक्त अंगद को मोटर सायकिल को चलाते देखा। इस तरह से निश्चायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि घटना दिनांक को अभियुक्त अंगद वाहन को चला रहा था। जब अभियुक्त के द्वारा वाहन का चलाया जाना ही प्रमाणित नहीं है तब ऐसी दशा में यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त अंगद ने घटना दिनांक को मोटर सायकिल क्र. एमपी-48-एमई-1423 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित कर, दुर्घटना कारित कर उसमें बैठे अनिल की ऐसी मृत्यु कारित की जो मानव वध की कोटि में नहीं आती।

### विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

14 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर मोटर सायकिल सी.बी.जेड. क्र. एमपी-48-एमई-1423 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित कर उक्त मोटर सायकिल की दुर्घटना कारित कर उसमें बैठे अनिल की ऐसी मृत्यु कारित की जो मानव वध की कोटि में नहीं आती। फलतः अभियुक्त अंगद को भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ए के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

15 प्रकरण में जप्तशुदा सीबीजेड मोटर सायकिल क्र. एमपी-48-एमई-1423 सुनील पिता जिवतीलाल निवासी बोरी खुर्द थाना आमला जिला बैतूल को अस्थायी सुपुर्दनामे पर प्रदान की गयी है। अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा भारहीन हो। अपील होने की दशा में अपीलीय माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार व्ययन की जावे।

16 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

17 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)